	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। P.O. का० अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं. वास्ते प्रतिवादीगण के जवाब दावा हेतु पत्रावली दिनांक 16-1-18 को पेश हो। किन्तु प्रतिवादी की ओर से जवाब शामिल पत्रावली किया जा चुका है वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 16-1-18 को पेश हो। B.O.	
16-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा है बहस हेतु समय दिया जाता है वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 31-1-18 को पेश हो	
31-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। ~~वकलाय~~ उभय पक्ष बहस करना चाहते है. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 9.2-18 को पेश हो।	
9.2.18	पत्रावली पेश हुई। स्थानीय बार एसोसिएशन के द्वारा कार्य का स्थगन किया हुआ है। P.O. का० अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है. वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 14-2-18 को पेश हो। B.O.	reject
14-2-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। P.O. का० अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16-2-18 को पेश हो B.O.	
16-2-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इच्छा की।	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जबकि विपक्षी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की दरख्वास्त की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित काश्तकारी ग्राम जितावतों की खेड़ी पटवार हलका हरणी, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर बिलानाम काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी तसदीक प्रस्तुत राजस्व कोलिसर्व जमाबंदी की नकल सम्वत 2048 से 2051 से होती है, खसरा नं० 680/503 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 691/503 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा पर प्रार्थी का कब्जा है जिसकी तसदीक प्रस्तुत खसरा परिवर्तित किस्तबंदी की नकल सम्वत 2062 से 2065 से होती है, वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विवादित काश्तकारी बिलानाम काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड है जिसकी तसदीक प्रस्तुत राजस्व कोमीसर्व जमाबंदी की नकल सम्वत 2060 से 2063 से होती है। नाजायज कब्जा होने से धारा 91 L.R.Act के तहत कार्यवाही की जाकर पेनल्टी के रूप में प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराई गयी। जिसकी तसदीक प्रस्तुत धारा 91 L.R.Act के नोटिस एवं पेनल्टी की रसीदों से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रकट है प्रार्थी का विवादित काश्तकारी पर नाजायज कब्जा है। प्रार्थी को न तो कोई आवंटन हुई, और न ही किसी प्रकार से प्रार्थी को खातेदारी दी गयी। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित काश्तकारी पर न तो खातेदारी है और न ही किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला और न ही सुविधा का संतुलन ही है। जबकि विपक्षी ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी का विवादित काश्तकारी पर किसी कब्जा नहीं है व नहीं रहा है, राज्य सरकार का स्वयं कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

के विरुद्ध एडवर्स पजेशन का नियम लागू नहीं होता है. ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार के स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कृषक प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझती है, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी कृषक प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है. पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ शामिल की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner